O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 383
Date 28 APR 2023
AGM (IT)
SE (O)/SE
EE
Section

CSPTCL

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एनः— U40108CT2003SGC015820

कार्या :— मुख्य अभियंता (मा0सं0)

क्रमांक :— 01—01 / अ.प्र.क. / 05 / 2023 / 2082 रायपुर, दिनांक 24/04/2023

(अपील प्रकरण क्रमांक 05 / 2023)

श्री सोहन ठाकुर अपीलार्थी
जगदलपुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 24/04/2023 को पारित)

अपीलार्थी श्री सोहन ठाकुर ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.) —दो, के निर्णय दिनांक 01.03.2023 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) — प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :—

(i)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी ।	छ.ग.स्टे.पॉ.कं.लिमि. रायपुर द्वारा वर्ष 2021—22 में परिपत्र जारी किया गया था कि पदोन्नति नियम में रोस्टर पद्धति को उच्च न्यायालय द्वारा रोके जाने के कारण छ.ग.स्टे.पॉ.कं.लिमि. द्वारा पदोन्नति नियम 50—50 के आधार पर परिपत्र लागू किया गया है अतएव बिन्दुवार जानकारी :— (1) सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता में पदोन्नत करने हेतु पदोन्नति नियम 50—50 का पालन करते हुए पदोन्नत किया जा रहा है। वर्ष 2020 —21 से (परिपत्र लागू होने से) अब तक इस नियम के तहत पदोन्नत हुए अधिकारियों की जानकारी। (2) उपरोक्त नियम के तहत वर्ष 2020—21 से (परिपत्र लागू होने से) पदोन्नति नियम 50—50 का पालन करते हुए कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता में पदोन्नत हुए अधिकारियों की जानकारी। (3) उपरोक्त नियम के तहत वर्ष 2020—21 से (परिपत्र लागू होने से) पदोन्नति नियम 50—50 का पालन करते हुए अधीक्षण अभियंता से अति. मुख्य अभियंता में पदोन्नत हुए अधिकारियों की जानकारी। (4) उपरोक्त नियम के तहत वर्ष 2020—21 से (परिपत्र लागू होने से) पदोन्नति नियम 50—50 का पालन करते हुए अति. मुख्य अभियंता से मुख्य अभियंता में पदोन्नत हुए अधिकारियों की जानकारी। (5) उपरोक्त नियम के तहत वर्ष 2020—21 से (परिपत्र लागू होने से) पदोन्नति नियम 50—50 का पालन करते हुए मुख्य अभियंता से कार्यपालक निदेशक में पदोन्नत हुए अधिकारियों की जानकारी।

(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :–	आवेदन दिनांक 20.01.2023 के माध्यम से बिन्दुवार जानकारी चाही गई थी। तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्न स्पष्ट नहीं है जिससे मै असंतुष्ट हूँ। अतएव स्पष्ट किया जाता है कि महाप्रबंधक (मा.सं.), छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. रायपुर के आदेश कमांक 01–05 / पी.डी.–दो / 215–16 रायपुर दिनांक 19.03.2021 के द्वारा कंड़िका कमांक 02 में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी पद पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक पद हेतु सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति में से पदस्थापना की जानी है। अतएव मेरे आवेदन दिनांक 20.01.2023 से संबंधित जानकारी प्रदान करने की कृपा करें एवं इसके साथ ही निम्न जानकारी महाप्रबंधक (मा.सं.), छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. रायपुर के आदेश कमांक 01–05 / पी.डी.–दो / 215–16 रायपुर दिनांक 19.03.2021 के तारतम्य में भी 04 बिंदुओं में प्रदान करने की कृपा करें। मुख्य अभियंता, अति. मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता हेतु इलेक्ट्रीकल / सिविल संकाय हेतु वितरण कंपनी, पारेषण कंपनी एवं जनरेशन कंपनी के अंतर्गत स्वीकृत पदों में भरे हुए पद एवं रिक्त पदों की जानकारी वर्गवार (अर्थात् सामान्य / आरक्षण से भरे पद) देने की कृपा करें।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		17.04.2023	उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित तथा अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। निर्धारित तिथि को अपीलार्थी द्वारा दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया कि वह नियत तिथि को अपील सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकते। चूंकि उनके द्वारा अपील आवेदन दिनांक 20.03.2023 में चाही गई जानकारी स्पष्ट किया गया है। अतएव अपील में उपस्थित होने का कोई औचित्य नहीं है। अतः चाही गई जानकारी / दस्तावेज उन्हे उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उपरोक्त के दृष्टिगत अपीलार्थी को प्रकरण में पुनः सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना उचित नहीं है। अतएव अपील में गुण–दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही :–		जनसूचना अधिकारी का तर्क / कथन कि तालिका 01 में चाही गई बिन्दुवार जानकारी / दस्तावेज के संबंध में धारा 5(5) के अनुसार संबंधित प्रभाग के DPIO उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–एक, से सहायता ली गई। तत्संबंध में DPIO द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना से निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र कमांक 1172 दिनांक 01.03. 2023 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि आपके द्वारा उल्लेखित पदोन्नति नियम 50–50 में आदेश कमांक, दिनांक का कोई उल्लेख नहीं होने से

			प्रश्न स्पष्ट नहीं है, अतः वांछित जानकारी निरंक है। प्रश्न स्पष्ट होने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। चूंकि अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन के माध्यम से चाही गई जानकारी/दस्तावेज के संबंध में आदेश क्रमांक व दिनांक का उल्लेख कर, जानकारी स्पष्ट किया गया है। अतः कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध करायी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के प्रथम अपील आवेदन दिनांक 20.03.2023 एवं धारा 6 (1) के अंतर्गत पूर्व में प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20.01.2023 की विषयवस्तु में भिन्नताः है। अपील आवेदन में अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय के आदेश कमांक 01–05/पी.डी.–दो/215–16 रायपुर दिनांक 19.03.2021 का उल्लेख करते हुए अन्य विषयवस्तु पर 04 बिदुओं में जानकारी की मांग की गई है, जो उनके द्वारा प्रस्तुत पूर्व आवेदन दिनांक 20.01.2023 के विषयवस्तु में एकरूपता नहीं है। सूचनाधिकार के अंतर्गत आवेदनकर्ता द्वारा धारा 6 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन जिसमें सूचना/जानकारी की मांग की गई है। जिसमें उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता को जानकारी उपलब्ध करायी गई है। उपलब्ध करायी गई जानकारी से आवेदनकर्ता असंतुष्ट होने पर धारा 6 (1) के आवेदांनुसार उसी विषयवस्तु के संबंध में ही धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत किया जाना है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा सूचनाधिकार के अंतर्गत 05 बिन्दुओ के माध्यम से छ.ग.स्टे.पॉ.कं.लिमि. द्वारा पदोन्नति नियम 50–50 के आधार पर परिपत्र लागू किया गया है। तत्संबंध में उक्त नियम के तहत वर्ष 2020–21 से (परिपत्र लागू होने से) अब तक इस नियम के तहत पदोन्नत हुए सहायक अभियंता से कार्यपालक निदेशक के पद में पदोन्नत हुए अधिकारियों की जानकारी चाही गई है। उल्लेखित तालिका (IV) के दृष्टिगत जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जो सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है वह तर्क संगत है जो स्वीकार्य योग्य है।

प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि जनसूचना अधिकारी ने जानबुझकर अपीलार्थी को दस्तावेज उपलब्ध नहीं करायी गई है। तालिका (II) में अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में दिये गये तर्कनुसार कि महाप्रबंधक (मा.सं.), छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. रायपुर के आदेश कमांक 01–05/पी.डी.–दो/215–16 रायपुर दिनांक 19.03.2021 के द्वारा कंड़िका कमांक 02 में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी पद पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक पद हेतु सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में से पदस्थापना की जानी है। उक्त दिये गये तर्कनुसार यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा तालिका 01 में चाही गई बिन्दुवार जानकारी स्पष्ट किया गया है। वस्तुतः कार्यालय में उपलब्ध नस्ती/दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत होगा। चूंकि अपीलार्थी द्वारा अपील अभ्यावेदन में अन्य विषयवस्तु से संबंधित 04 बिन्दुओं में जानकारी की मांग की गई है। तत्संबंध में अपीलार्थी धारा 6 (1) के अंतर्गत इस कार्यालय में पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, नियमानुसार जानकारी प्राप्त कर सकते है।

जहाँ तक अपील का प्रश्न है उत्तरवार्दी जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे कंड़िका 02 की तालिका (I) में उल्लेखित बिन्दुवार जानकारी / दस्तावेज, धारा 7(1) के अंतर्गत अपीलार्थी से समुचित अभिलेख शुल्क प्राप्त कर, उपलब्ध कराये।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत तदनुसार दर्ज अपील प्रकरण कमांक 05 / 2023 दिनांक 20.03.2023 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

24/4/23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह मुख्य अभियंता (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771–2574700

क्रमांक :– 01–01 / अ.प्र.क. / 05 / 2023 / 2083 रायपुर, दिनांक 24/04/2023

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0) –एक , छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर – कंड़िका 02 की तालिका (I) में उल्लेखित बिन्दुवार जानकारी कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अतिशीघ्र जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध कराये।

(3) श्री सोहन ठाकुर, दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, पुरानी भटट्ी रोड़, जगदलपुर (छ.ग.) पिन –494001 को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव
छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, नवा रायपुर

24/4/23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह मुख्य अभियंता (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771–2574700